कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/सी–1/अंग्रेजी/स्थानांतरण/2020–21 दिनांक–04.01.2021 के तहत् श्रीमती इन्द्रमणी व्याख्याता, अंग्रेजी का राउमावि रोहिड़ावाली, श्रीगंगानगर से राउमावि जसनगर रियां, नागौर स्थानांतरण किया गया।

श्रीमती इन्द्रमणी द्वारा स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध राजस्थान अधिकरण, अपील, जयपुर में अपील सं. 1647/2021 श्रीमती इन्द्रमणी बनाम सरकार व अन्य दायर की गई। जिस पर माननीय अधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 18.03.2021 द्वारा कि अपीलार्थी को विभाग के समक्ष प्राधिकारी को अपील में वर्णित आधारों को दर्शाते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रस्तुत अभ्यावेदन प्राप्ति पर विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित करने एवं ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को देने के निर्देश प्रदान किये गये है।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी श्रीमती इन्द्रमणी द्वारा स्थानान्तरित स्थान गृह जिले से लगभग 500 कि.मी. दूर होने एवं स्वयं की विपरीत पारिवारिक परिस्थितियों के तहत अपना पदस्थापन राउमावि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चूनावढ, श्रीगंगानगर/सी.बी.ई.ओ. कार्यालय अनूपगढ, श्रीगंगानगर में किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की है।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी द्वारा स्थानान्तरित स्थान राउमावि जसनगर, रियां, नागौर में दिनांक 08.03.2021 को कार्यग्रहण कर लिया गया है। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा पदस्थापन हेतु चाहे गये स्थान Walk In Interview का पद है। अतः इनके द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

सभी पक्षकार सूचित हों।

(सौरभ स्वामी)
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/माध्य/सी–1/अंग्रजी/अधि. अपील संख्या 1647/इन्द्रमणी/2021 दिनांक : 01/04/2021

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत है :–

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा,
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर
6. विधि अनुभाग कार्यालय हाजा
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. संबंधित प्राधानाचार्य,
9. श्रीमती इन्द्रमणी व्याख्याता, अंग्रेजी राउमावि जसनगर, रियां, नागौर
10. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

C-1 Court Case 15